

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या -418/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 7.550 किमी0 में पड़ने वाली 3.20 है0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की माँग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत माननयी मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या-418/2015 के अन्तर्गत सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। स्वीकृति लम्बाई 10.00 किमी0 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश संख्या 2997/III/(2)/15-06(मा0मु0घो0) 2015 दिनांक 08मई 2015 से 77.40 लाख की प्राप्त हैं प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव 9 मी0 चौड़ाई में तैयार किये गये हैं। तथा वृक्षों की गिनती 7 मी चौड़ाई में की गयी है। उक्त मोटर मार्ग सिनलेख से बुंगली में 7.550 किमी0 की लम्बाई में समाप्त होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्मित हो जाने के पश्चात उक्त क्षेत्र को आबादी तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय से जुड़ जायेगी। जिससे स्थानीय जनता को शिक्षा,स्वास्थ्य,बैंक बाजार व रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। लैण्ड शैड्यूल के अनुसार सरंखन में आरक्षित वन भूमि 0.00 है0, राज्य भूमि 3.20 है0, वन पंचायत भूमि 0.45 है0 एवं नाप भूमि 4.095 है0 प्रभावित हो रही है।

अतः <sup>3.65</sup>~~3.65~~ है0 वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव गठित कर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क स्वीकृति हेतु आन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण आवश्यक है।

सहायक अभियन्ता  
आ0 ख0 लो0 नि0 वि0  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

हस्ताक्षर एवं नाम प्रयोक्ता एजेन्सी

वन विभागाधिकारी  
गंगोलीहाट वन क्षेत्र  
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय पिथौरागढ़

राजस्व तालुकाधिकारी  
क्षेत्र...  
तह0- गंगोलीहाट, जिला- पिथौरागढ़

जिलाधिकारी  
गंगोलीहाट

जिलाधिकारी  
गंगोलीहाट